

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय  
बल्लभ भवन, भोपाल- 462004

// आदेश //

भोपाल दिनांक 10.06.98 / 6.7.98  
क्रमांक एफ-2-12/98/1/ चौतीस 11 राज्यशासन द्वारा विभाग के हैण्डपंप मैकेनिक का पदनाम टैक्नीशियन (हैण्डपंप) किये जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। बशर्ते कि पदनाम परिवर्तन से किसी प्रकार की उच्च वेतनमान की मांग की जावे।

1. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक [411/एस.आर./50/11/132/चार](#) दिनांक 6.7.98 द्वारा महालेखाकर ग्वालियर / भोपाल को पृष्ठांकित कर प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
(बी.पी.शर्मा)  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-2-12/98/1/ चौतीस 11 भोपाल दिनांक 10.06.98

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, वित्त विभाग की ओर महालेखाकार ग्वालियर / भोपाल को पृष्ठांकित हेतु अतिरिक्त 4 प्रतियों सहित प्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल
5. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल।
6. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, भोपाल।
7. प्रांतीय संयोजन, हैण्डपंप मैकेनिक समिति एफ-35/ 161/ 1250 तुलसी नगर, भोपाल।
8. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल।
9. स्टाक फाईल।

हस्ताक्षर  
(बी.पी.शर्मा)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग